न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक / 16

निग 2755-I/16

श्रीमती जानकी यादव पत्नी रामबगस यादव निवासी ग्राम छिदारा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

.........आवेदिका

विरूद्ध

1—संतोष दुबे तनय भगवानदास दुबे निवासी ग्राम रामनगर, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

2—मध्यप्रदेश शासन

............अनावेदकगंण

द्वारा आज दि. 16/8/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.8.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्र0क0 68 / बी—121 / 2014—15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 110 / 1 रकवा 0.800 हैक्टेयर पर आवेदिका का वर्तमान में कब्जा है। आवेदिका ने न्यायालय

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2755-एक/2016 जिला टीकमगढ़ जानकी विरूद्ध शासन व संतोष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 68/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 20/2/2019 सदस्य	